संख्या-4/2026/ बी-3- 259/दस-2026

प्रेषक,

पंकज कुमार मद्धेशिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन/
महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं समस्त विभागाध्यक्ष/
मण्डलायुक्त/जनपद न्यायाधीश एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊः दिनॉकः 31 अगस्त, 2026

विषयः राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत भवन निर्माण/क्रय व भवन मरम्मत/विस्तार क्रय अग्रिम के ऑकड़ों के मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 के प्रथम त्रैमास तक (अप्रैल, 2026 से जून, 2026 तक) के आकंड़ों का महालेखाकार कार्यालय में लेखांिकत ऑकडों से मिलान दिनांक 24.08.2026 से दिनॉक 11.09.2026 तक की निर्धारित अवधि में सुनिश्चित कराये जाने से सम्बन्धित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के पत्र संख्या 21/2026/बी-2-184/दस-2026-आर-2/2016, दिनॉक 18.08.2026 के सन्दर्भ में अनुरोध है कि कृपया आपके विभाग/कार्यालय द्वारा स्वीकृत उपर्युक्त विभिन्न अग्रिमों के आहरण एवं वसूली के वित्तीय वर्ष 2026-2027 के प्रथम त्रैमास तक के ऑकड़ों का मिलान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने एवं कृत कार्यवाही से वित्त विभाग को अवगत कराने कराने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि महालेखाकार कार्यालय की वेबसाइट agup.nic.in पर उपलब्ध 2001-02 से 2025-26 की अवधि में स्वीकृत किये गये अनावर्ती सहायता अनुदानों के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में एवं लम्बित ए.सी. बिल के सापेक्ष डी.सी. बिल का प्रेषण तथा राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वीकृत दीर्घकालीन अग्रिम (HBA/MCA etc.) मजबण्द्ध के आंकड़ों का त्रैमासिक मिलान नियमित रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे नियंत्रक अधिकारियों द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदानों एवं ए.सी.बिल का समयोजन भी कार्यालय में सम्भव हो सके। नियंत्रक अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराने पर उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकडे अन्तिम समझे जायेंगे।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
पंकज कुमार मद्धेशिया
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-4/2026/बी-3-259/दस-2026 तददिनॉक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय।

4- प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय।

5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

पंकज कुमार मद्धेशिया
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।